भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 38A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

लेम्बो कुई ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

आशा जामुदा ....क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
06-03-2020		

विक्रेता :— लेम्बो कुई पति दुर्गा हो, ग्राम—नीलमोहनपुर, थाना— सरायकेला, जिला—सरायकेला—खरसावाँ (झारखण्ड), जाति—हो।

क्रेता :— आशा जामुदा पति पोटे जामुदा, सा0—हेसा, थाना—सरायकेला, जिला—सरायकेला—खरसावाँ(झारखण्ड), जाति—हो।

विक्रेता द्वारा दिनांक 24.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46(i)a के तहत क्रेता आशा जामुदा पति पोटे जामुदा, सा0—हेसा, थाना—सरायकेला, जिला—सरायकेला—खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :—

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
पोड़ाडीह	सरायकेला/259	11	26/अंश	0.15एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 56 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :—

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के ससुर कुमा हो के नाम से खतियान एवं पंजी—II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पति एवं ससुर के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा—2.85½एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहती है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति—'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता लेम्बो कुई पति दुर्गा हो, ग्राम–नीलमोहनपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता आशा जामुदा पति पोटे जामुदा, सा0–हेसा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.15एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

06/03/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।